श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश इन्दौर

क्रमांक 230/आफ.ला.नवम/प्रवर्तन/2024/९३७-९५१ इन्दौर, दिनांक 11/5/२०२४

प्रति,

समस्त कलेक्टर

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी

समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

विषय:-जन समुदाय को लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव हेतु एडवायजरी।

संदर्भ:-1. श्रम विभागीय पत्र क्रमांक 355/1961124/2023/बी-16, दिनांक 4.4.2024

2. मध्यप्रदेश शासन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 248, दिनांक 19.3.2024

विषयान्तर्गत जन समसमुदाय को लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव हेतु मध्यप्रदेश शासन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह विभाग, द्वारा सन्दर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा एडवायजरी जारी की गई है, एडवायजरी की प्रति संलग्न है।

गृह विभाग द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में जहां पर भी श्रमिक नियोजित है ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों के कामगारों प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यो में नियोजित श्रमिकों, पीठा श्रमिकों एवं अन्य क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों को लू (तापघात) के प्रकोप बचाव की जानकारी दी जाए।

उद्योगों, निर्माण कार्यो एवं अन्य क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों का कार्य समय आवश्यकता अनुसार एवं सुविधा अनुसार परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाए।

खेतों, बाजारों, उद्योगों, भवन निर्माण आदि में कार्यरत श्रमिकों के कार्य स्थल पर शीतल जल एवं आपात स्थिति हेतु पर्याप्त शेड की सुनिश्चितता हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन पूरे प्रदेश में कराया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे नियोजित श्रमिकों को लू (तापघात) से बचाया जा सके।

श्रमायुक्त

मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांक 230/आफ.ला.नवम/प्रवर्तन/2024|९३७-९४१ इन्दौर, दिनांक ।।/५/२०२४

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रमविभाग, भोपाल पत्र क्रमांक 355/1961124/2023/बी-16, दिनांक 4.4.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2.. मध्यप्रदेश शासन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 248, दिनांक 19.3.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

3. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

4. संचालक, नगरीय निकाय, भोपाल

5. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल

6. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल

7. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

8. आयुक्त, कृषि उपज मण्डी, भोपाल

श्रमायुक्त,

मध्यप्रदेश, इन्दौर

1961124
1.4.24

मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
गृह विभाग
मध्य प्रदेश शासन

क्र. 248 /डी-17/एसडीएमए/2017-24 भोपाल, दिनांक 19.03.2024

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनसंपर्क विभाग, ऊर्जा विभाग, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, पशु-पालन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
2. पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश पुलिस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
3. महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस, भोपाल।
4. राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
5. महाप्रबंधक, रेलवे, जबलपुर।
6. कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल।
7. निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र, भोपाल
8. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त जिले, मध्यप्रदेश शासन।

पं. -3(B) 214

विषयः- जन समुदाय को लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव हेतु एडवायजरी।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसमी दृष्टिकोण के अनुसार प्रदेश सहित समस्त मध्य भारत में मार्च – मई 2024 का तापमान औसत तापमान से अधिक होने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में लू (तापघात) की स्थिति निर्मित हो सकती है। लू (तापघात) के प्रभाव, लक्षण एवं प्राथमिक उपचार निम्नानुसार है :-

प्रभाव	लक्षण	प्राथमिक उपचार
सूर्य दाह (Sunburn)	त्वचा पर लाल चकता, सूजन, फफोले, बुखार, सिरदर्द आदि	प्रभावित को बार-बार नहलाए। यदि फफोले निकल आएं हो तो स्टरलाइज/ ड्रेसिंग करें। चिकित्सक का परामर्श ले।
ताप के कारण शारीरिक ऐठन (Heat Cramp)	पैरो, पेट की मांसपेसियों अथवा शरीर के बाहरी भागों में तकलीफ देह ऐंठन, अत्यधिक पसीना आना	प्रभावित को छायादार स्थल पर तत्काल ले जाए। ऐठन वाले शरीर के भाग को जोर से दबाए तथा धीरे-धीरे सहलाएं। प्रभावित को शीतल जल, छाछ अथवा पना पिलाएं। यदि उकबाई आ रही हो, तो शीतल पेय पिलाना बंद कर दें तथा तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाएं।
अत्यधिक	अत्यधिक पसीना आना,	प्रभावित को छायादार स्थल पर लिटा कर शरीर पर ठंडा एवं

थकावट एवं शारीरिक खिचाव (Heat Exhaustion)	कमजोरी महसूस होना, शरीर ठंडा होना तथा पीला पड़ जाना, सिर दर्द, नब्ज कमजोर पड़ जाना, मूर्छित हो जाना, उल्टी आना	गीले कपडे से स्पंजिंग करें। संभव हो तो उन्हें वातानकूलित कमरे में ले जाए। प्रभावित को शीतल जल, छाछ अथवा पना पिलाए। यदि उबकाई आ रही हो, तो शीतल पेय पिलाना बंद कर दे तथा प्रभावित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाएं।
ताप-दाह (Heat Stroke)	अत्यधिक बुखार, अत्यधिक गर्म एवं सूखी त्वचा, तेज नब्ज बेहोशी हो सकती है। प्रभावित व्यक्ति को पसीना नहीं आएगा।	यह अत्यंत चिंताजनक एवं चिकित्सा की दृष्टि से आपात स्थिति है। तत्काल 108 को बुलाएँ तथा प्रभावित को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराएँ। एम्बूलेंस आने तक उन्हें किसी शीतल वातानुकूलित स्थान पर ले जाएँ। कपड़ों को ढीला कर आरामदेह स्थिति में लिटाएँ। उनके शरीर पर ठंडा एवं गीले कपड़े से स्पंजिंग करें। किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ पीनें को नहीं दें। आवश्यकतानुसार सीपीआर शुरू करें।

लू (तापघात) से बचाव हेतु निम्नलिखित सावधानियां अपनाई जानी चाहिए :-

- पानी, छांछ, ओ.आर.एस. का घोल या घर में बने पेय जैसे लस्सी, नीबू पानी, आम का पना इत्यादि का सेवन कर तरो-ताजा रहें।
- यथा संभव दोपहर 12 से 03 बजे धूप में बाहर निकलने से बचें।
- धूप में निकलते समय अपना सिर ढक कर रखें। कपड़े, टोपी अथवा छतरी का उपयोग करें।
- धूप में निकलने के पूर्व तरल पदार्थ का सेवन करें। पानी हमेशा साथ रखें। शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें।
- सूती, ढीले एवं आरामदायक कपड़े पहनें। सिंथेटिक एवं गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचें।
- जानवरों को छाया में रखें और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
- अत्यधिक गर्मी होने की स्थिति में ठंडे पानी से शरीर को पोछे या कई बार स्नान करें। धूप तथा गर्म हवाओं के संपर्क के तुरंत बाद स्नान न करें।
- गरिष्ठ, वसायुक्त, ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन तथा अल्कोहल,चाय, काफी जैसे पेय पदार्थ का उपयोग कम से कम करें।

अतः उपरोक्त अनुसार लू (तापघात) से जनसामान्य के बचाव हेतु समस्त जिला प्राधिकरणों तथा लू प्रबंधन से सम्बंधित समस्त विभागों द्वारा प्रदेश में संभावित लू के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुये इससे होने वाली क्षति को कम करने हेतु विभागीय एवं जिला स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जायें।

इस संदर्भ में निम्नांकित सुझाव दिये जाते हैं :-

<u>राजस्व विभाग</u>

i. लू (तापघात) को राज्य में आपदा घोषित किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त जिले

i. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संशोधित दिशा-निर्देशों अनुसार स्थानीय जिला लू (तापघात) कार्य योजना तैयार की जावे।

ii. प्रत्येक स्तर (जिला, तहसील, ब्लॉक, विभाग आदि) पर लू प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी को नामांकित किया जावे।

iii. भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा प्रतिदिन जारी लू चेतावनी को जिला कमांड और नियंत्रण केंद्र (District Command, Control and Coordination Centre) के माध्यम से जन सामान्य तथा संबन्धित विभागों तक पहुंचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जावे।

iv. स्थानीय स्तर पर "लू से बचाव" से संबन्धित जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

v. लू सम्बंधित बिमारियों एवं खतरों से जन सामान्य के बचाव हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में नियमित प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया जावे।

vi. लू से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों से संबन्धित सुझाव का प्रचार प्रसार होर्डिंग तथा प्रिंट मीडिया,सोशल मीडिया, स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क, एफएम, सामुदायिक रेडियो से किए जाने की व्यवस्था की जावे। इस कार्य में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों और समाज सेवियों की सहायता ली जा सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र

i. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा मौसम केन्द्र भोपाल द्वारा प्रतिदिन जारी की जाने वाली लू चेतावनी, लू की अवधि, अधिकतम तापमान स्थानवार मौसमी रिपोर्ट आदि को संबन्धित विभागों तथा जिलों तक (प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया) द्वारा प्रसारित करने की व्यवस्था की जावे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

i. सार्वजनिक स्थलों जैसे बाज़ारों, प्रमुख शासकीय कार्यालय आदि (जहां अधिक संख्या में जनसामान्य का आना होता है) को चिन्हित कर, इन चिन्हित स्थानों में लू से बचाव हेतु पर्याप्त छायादार स्थल (शेड) की व्यवस्था करना तथा आवश्यकतानुसार इन स्थलों को शीतल रखने की व्यवस्था की जावे।

ii. इन चिन्हित स्थलों पर लू से बचाव के प्राथमिक उपचार हेतु फ़र्स्ट ऐड बॉक्स रख कर आपात स्थिति में इसके उपयोग से संबन्धित आवश्यक निर्देश लिखे जाएँ। स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों से विचार विमर्श कर आवश्यकतानुसार इन स्थलों पर वॉलंटियर की तैनाती भी की जा सकती है, जो आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हो।

iii. इन चिन्हित स्थलों पर शीतल जल की पर्याप्त व्यवस्था तथा पेय जल-श्रोत में पीने हेतु पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। इस कार्य की निगरानी हेतु नगर-निगम/नगर-पालिका/नगर पंचायत के कर्मियों की क्षेत्रवार ज़िम्मेदारी निर्धारित की जावे।

iv. चिन्हित स्थलों पर जन सामान्य के बैठने तथा लू से ग्रसित लोगों के आराम करने की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जावे।

v. इन चिन्हित स्थलों पर "लू से बचाव" से संबन्धित जन सामान्य हेतु आवश्यक निर्देश/ सुझाव के बैनर लगाए जाएँ।

vi. सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जावे।

vii. शासकीय/सार्वजनिक भवनों में कूल रूफ तकनीक (Cool Roof Technology) को बढ़ावा दिया जावे।

स्कूल शिक्षा विभाग

i. स्कूल तथा शैक्षणिक संस्थाओं का कार्य समय, भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा लू से संबन्धित दी गई चेतावनी अनुसार आवश्यकतानुसार विधिवत परिवर्तन करने हेतु आवश्यक आदेश जारी किए जावें।

ii. शैक्षणिक संस्थाओं के क्लास रूम को शीतल रखने की यथोचित व्यवस्था की जावे।

iii. शैक्षणिक संस्थाओं में छायादार स्थानों की उपलब्धता सुनिशित की जावे।

iv. लू से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा विद्यालय में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

v. शैक्षणिक संस्थाओं में शीतल पेय जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

vi. विद्यालय के पेय जल श्रोत के आसपास सफाई एवं स्वछता सुनिश्चित की जावे।

vii. अस्पतालों/आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले संस्थाओं/ विभागों का संपर्क न. का विवरण विद्यालय में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

viii. गंभीर रूप से लू से प्रभावित होने वाले विद्यार्थियों को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन की व्यवस्था तथा इस कार्य हेतु विद्यालय के ज़िम्मेदार शिक्षक का नामांकन किया जावे।

ix. शैक्षणिक संस्थाओं में " लू से बचाव " से संबन्धित विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश/ सुझाव के बैनर लगाए जावें।

x. लू (तापघात) प्रबंधन के सम्बन्ध में शिक्षकगण विद्यार्थियों को कक्षाओं में अवगत करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

i. ज़िले में स्थित सभी शासकीय अस्पतालों में लू प्रभावितों के उपचार हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनाई जावे।

ii. लू से बचाव हेतु जनसामान्य द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय से संबन्धित सुझाव, ज़िले के सभी अस्पतालों के बाहर प्रदर्शित किये जावें।

iii. लू ग्रसित रोगियों की चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाइयाँ, भंडार आदि की उपलब्धता सभी शासकीय चिकित्सालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो होल्डर आशा कार्यकर्ता के पास सुनिश्चित की जावे। विशेषकर ओआरएस घोल/ फ्लुइड , लू से उपचार हेतु अन्य दवाइयाँ आदि का पर्याप्त भंडारण रखने के निर्देश दिए जावें ।

iv. लू ग्रसित रोगियों की संख्या बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त अमले की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

v. लू ग्रसित रोगियों के चिकित्सा हेतु ज़िला चिकित्सालय तथा सिविल चिकित्सालय में अलग चिकित्सा वार्ड की व्यवस्था की जावे।

vi. बहू-उद्देशीय कार्यकर्ताओं (Multipurpose worker) ,आशा कार्यकर्ताओं तथा आशा पर्यवेक्षक को स्थानीय स्तर पर लू से ग्रसित रोगियों की जानकारी प्राप्त करने, उनके समुचित इलाज को सुनिश्चित करने तथा इसकी जानकारी खंड चिकित्सा अधिकारी को प्रदान करने के निर्देश दिये जावे।

vii. उपरोक्त कार्यों में सरकारी अमले की सहायता हेतु स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों को चिन्हित कर तथा उनके साथ बैठक कर लू से बचाव हेतु आवश्यक उपाय किये जावे।

viii. सार्वजनिक स्थलों पर एम्ब्युलेन्स/108 को विशेषकर दोपहर में तैयारी की स्थिति में रखा जावे ताकि किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसे तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सके।

ix. लू प्रभावितों के उपचार हेतु रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जावे।

x. कमजोर समूह- बच्चों, दिव्यंगों, महिलाओं और वृद्धों की विशेष देखभाल हेतु व्यवस्था की जावे।

xi. लू (तापघात) से सम्बंधित मामलों और मौतों की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जावे तथा इसकी प्रति राजस्व विभाग को भेजते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी सूचित करने का कष्ट करें।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

i. पंचायत भवनों में लू से बचाव के उपायों से संबन्धित प्रचार प्रसार किया जावे। लू से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा पंचायत भवन में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

ii. MGNREGA तथा अन्य विकास योजनाओं के श्रमिकों का कार्य समय आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार समय परिवर्तित की जावे तथा कार्य स्थल पर छाया एवं शीतल जल सुनिश्चित किया जाये।

iii. श्रमिकों को लू से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराये जाये।

श्रम विभाग

i. औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रो के कामगारों को लू से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

ii. उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों का कार्य समय आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जावें।

iii. खेतों, बाज़ारों, उद्योगो , भवन निर्माण आदि में कार्यरत श्रमिकों के कार्य स्थल पर शीतल जल एवं आपात स्थिति हेतु पर्याप्त शेड की सुनिश्चितता हेतु संबन्धित को आवश्यक निर्देश देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

लोक निर्माण विभाग

i. शासकीय भवनों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओ के भवनों में कूल रूफ तकनीक (Cool Roof Technology) को बढ़ावा दिया जावे।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

i. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जावे।
ii. नलकूपों, तालाबों के यांत्रिक/विद्युत फाल्ट की मरम्मत/रखरखाव प्राथमिकता के आधार पर कराकर जल भण्डारण सुनिश्चित किया जावे।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

i. वैसे स्थलों को चिन्हित किया जाये जहाँ भिक्षुक अथवा शारीरिक रूप से कमजोर एवं नि:शक्तजन अधिक संख्या में रहते हों; तथा उन जगहों पर शीतल जल तथा छाया की व्यवस्था की जावे।ऐसे लोगों के लू से प्रभावित होने की स्थिति में इन्हें तत्काल चिकित्सालय पहुँचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जावे।

वन विभाग

i. सार्वजनिक स्थलों में पर्याप्त वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा जंगली पशुओं तथा पशु पक्षियों हेतु जंगल में पर्याप्त जल की व्यवस्था की जावे।
ii. वन-अग्नि को रोकने हेतु लगातार निगरानी सुनिश्चित की जावे।
iii. आग लगने की व्यापक संभावना वाले क्षेत्रों में फायर-लाइन और जल-संचयन संरचनाओं का निर्माण तथा वन अग्नि को रोकने हेतु अन्य आवश्यक उपाय किए जावें।

पर्यटन विभाग

i. प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में IMD द्वारा जारी लू चेतावनी को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जावे।
ii. समस्त पर्यटन स्थलों में पर्याप्त छाया तथा शीतल जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

परिवहन विभाग

i. बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड आदि सार्वजनिक वाहन स्थलों पर फर्स्ट-ऐड बॉक्स की व्यवस्था, लू प्रभावितों के उपचार की व्यवस्था, पर्याप्त छाया की व्यवस्था तथा शीतल जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
ii. जिला प्रशासन से विचार विमर्श उपरांत अधिकतम लू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समय को परिवर्तित करने हेतु विचार किया जावे।

जोनल एवं डिवीजनल रेलवे मैनेजर, रेलवे, भोपाल/जबलपुर

i. रेलवे स्टेशनों / यात्री प्रतीक्षालयों आदि हेतु शीतल शेड की व्यवस्था की जावे।
ii. शीतल पेय जल की व्यवस्था की जावे।
iii. लू ग्रसित यात्रियों के उपचार की व्यवस्था की जावे।

पशु-पालन विभाग

i. पशुओं को लू से बचाव हेतु विभागीय योजना तथा गौपालकों/ पशुपालकों को " पशुओं को लू से बचाव सम्बन्धी " जानकारी प्रदान करने हेतु जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु मैदानी स्तर के कर्मचारियों को निर्देशित किया जावे।

ii. पशु चिकित्सा से सम्बंधित दवाओं और उपकरण की स्थिति का आंकलन एवं स्टोरज किया जावे।

iii. लू से बचाव के लिए जानवरों के लिए स्वीकृति प्राप्त कर पशु-आश्रय / शेड का निर्माण किया जावे।

iv. पशुओं के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश पुलिस

i. ट्रैफिक पुलिस हेतु कार्य-स्थल पर शेड एवं शीतल जल की व्यवस्था की जावे ।

ii. ट्रैफिक पुलिस कर्मियों हेतु कूल जैकेट की व्यवस्था की जावे ।

आपदा प्रबंधन संस्थान

i. वार्षिक ट्रेनिंग कैलेण्डर में लू के प्रबंधन से सम्बंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाएँ।

ii. उपरोक्त प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु जनजागृति कार्यक्रमों के आयोजन में सम्बंधित विभागों को सहयोग प्रदान किया जावे।

iii. प्राकृतिक आपदाओं के शमन हेतु शोध कार्य किया जावे।

एस.डी.ई.आर.एफ/ होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस

i. विभाग द्वारा आयोजित जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लू के दौरान आवश्यक सावधानी एवं बचाव से सम्बंधित जानकारी दी जाए।

ii. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाये जा रहे "कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम (सचेत)" प्लेटफार्म द्वारा चेतावनी प्रसारण तथा अलर्ट मैसेज भेजा जाता है। जिसमें सेल प्रसारण, एसएमएस, मोबाइल ऐप, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के माध्यम का उपयोग करते हुए जनसामान्य को चेतावनी का प्रसारण किया जा सकता है। इस प्लेटफार्म को कार्यरत रखने हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मानव संसाधन स्टेट कमांड सेंटर में प्रदाय किये गये है। इस माध्यम का उपयोग करते हुए चेतावनी प्रसारण सुनिश्चित की जावे।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

i. विभागीय जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कृषकों को लू से बचाव सम्बंधित जानकारी दी जाए।

जनसंपर्क विभाग

i. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा की जावे।

ऊर्जा विभाग

i. बिजली संयंत्रों में सभी रख रखाव गतिविधियों को समयानुसार पूरा करना ताकि लू के दौरान पॅावर कट की स्थिति निर्मित नहीं हो।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

i. राज्य में लू की स्थिति की निगरानी हेतु Dash board/ Interface तैयार कर लू सम्बन्धी bulk चेतावनी भेजने की व्यवस्था की जावे।

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

i. मतदान में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु लू(तापघात) पर दिशा निर्देश जारी की जावे।

ii. राजनीतिक दलों के कार्यकर्मों मे लू(तापघात) प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश जारी की जावे।

iii. मतदान कर्मियो के प्रशिक्षण के दौरान लू से बचने हेतु फर्स्ट-ऐड संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावे।

मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनसमान्य के लू (ताप-घात) से बचाव हेतु एक जन-जागृति प्रचार सामग्री तैयार कर http://www.mpsdma.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है। कृपया इस प्रचार सामग्री को ज़िले की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषद/नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कर राज्य में जनसमान्य के लू (ताप-घात) से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये, की गई कार्यवाही की जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें।

19/3/20

(गौरव राजपूत)

सचिव, गृह एवं समन्वयक

म.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

पृष्ठ क्र. ..../डी-17/एसडीएमए/2017-24

भोपाल, दिनांक ....

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, म.प्र शासन की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त, म.प्र शासन की ओर सूचनार्थ।
3. संभागायुक्त, समस्त संभाग , म.प्र शासन की ओर सूचनार्थ।

सचिव, गृह एवं समन्वयक

म.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण